पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस–विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 06 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 08–01–2023

दिनांक 07/08–01–2023 को रात्रि थाना गोमतीनगर 01, थाना गोसाईगंज 04, थाना पीजीआई 01 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 06 अभियुक्त गिरफ्तार।

भा0द0वि0

थाना गोमतीनगर–दिनांक 08.01.2023 को थाना गोमतीनगर द्वारा बताया गया कि वादिनी श्रीमती रजनीश मृदुला पत्नी श्री संतोष कुमार निवासी–2/315 विश्वासखण्ड, गोमतीनगर लखनऊ ने थाना गोमतीनगर पर सूचना दिया कि वादिनी के उक्त आवास पर दिनांक 04.01.2023 को चोरी हो गयी है। वादिनी 31 दिसम्बर, 2022 को रात्रि अपने बच्चों के साथ गोरखपुर चली गयी थी। मकान मालिक नीलम यादव द्वारा दिनांक 07. 01.2023 को समय करीब 10.00 बजे वादिनी को चोरी होने की सूचना प्राप्त हुई। वादिनी अपने बच्चों व पति के साथ दिनांक 07.01.2023 को समय करीब 04.30 सांय को लखनऊ अपने उक्त आवास पर वापस आयी तो देखा कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है और आलमारी भी खुली पड़ी थी। वादिनी के घर की आलमारी में रखा 07 ग्राम का सोने का जेवर व 4,000/–रूपये नगद को अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया है। **इस सूचना पर मु0अ0सं0 12/2023 धारा 380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना माल–दिनांक 08.01.2023 को थाना माल द्वारा बताया गया कि वादी राकेश कुमार पुत्र स्व0 राधेलाल निवासी–ग्राम गांगन बरौली, ग्राम पंचायत माल थाना माल लखनऊ ने थाना माल पर सूचना दिया कि वादी पूर्व कैनर्स इण्डिया फैक्ट्री मसीढ़ा के पास अपनी निजी भूमि पर तीन तालाब खुदवाकर उसमें मत्स्य विभाग के माध्यम से मछली पालन का कार्य करवा रहा है। वहीं पर पानी की सुविधा हेतु सोलर नलकूल लगवाया गया है। सोलर नलकूप चलने हेतु सोलर पैनल लगे हुए थे। तालाब में पड़ी हुयी मछलियों व नलकूप की देखभाल हेतु राहुल रावत पुत्र अज्ञात निवासी–ग्राम आंट पोस्ट व थाना माल को रखा गया। दिनांक 05/06. 01.2023 की रात्रि में कुछ अज्ञात चोर नलकूप में लगे सभी सोलर पैनल को खोलकर लेकर चले गये। **इस सूचना पर थाना माल पर मु0अ0सं0–03/2023 धारा 379 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना गुडम्बा–दिनांक 08.01.2023 को थाना गुडम्बा द्वारा बताया गया कि वादी श्री कुलदीप पाल पुत्र राजाराम निवासी–कटहली का का पुरवा, सैहारा, थाना देवा जनपद बाराबंकी ने थाना गुडम्बा पर सूचना दिया कि दिनांक–06.01.2023 को वादी का भाई चन्द्र शेखर पाल जिला न्यायालय से विधिक कार्य निपटाकर घर आ रहे थे कि तभी इन्ट्रीगल विश्वविद्यालय के पास विपरीत दिशा से आ रही मारूति वैगनआर संख्या यूपी 32 एफके 8401 के चालक द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर वादी के वाहन में टक्कर मार दिया। वादी के भाई चन्द्रशेखर पाल ने जब इसका विरोध किया तो कार चालक गाली गलौज करने लगा। इस पर वादी के भाई ने 112 नं0 पुलिस सहायता के लिए कॉल किया, जिस पर उक्त चालक ने अपने साथियों को बुला लिया जो राड और लाठी डण्डों से लैस थे और उक्त लोगों द्वारा वादी के भाई को जान से मारने की धमकी देते हुए लात घुसों और राड से मारने लगे और वादी के भाई के सिर पर जान से मारने की नीयत से वार कर दिया जिससे वादी का भाई मरणासन्न हो गया, जिन्हें घायल अवस्था में सीएचसी गुडम्बा ले जाया गया जहां से वादी के भाई को इलाज के लिए ट्रामा सेंटर केजीएमयू रेफर कर दिया गया। **इस सूचना पर थाना गुडम्बा पर मु0अ0सं0–05/2022 धारा 279/307/504 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।**